भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †5166

सोमवार, 03 अप्रैल, 2023/13 चैत्र, 1945 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

केरल में पर्यटन क्षेत्र को राहत पैकेज

†5166. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का इरादा केरल में पर्यटन क्षेत्र, विशेष रूप से होमस्टे और छोटे पैमाने पर हाउसबोट और रेस्तरां उद्यमों का समर्थन करने का है, जिन्हें लॉकडाउन और बाद में केरल में पर्यटन में गिरावट के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या घोषित अथवा विचाराधीन राहत पैकेजों अथवा सहायता योजनाओं का आबंटन किया गया है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): भारत सरकार ने केरल सहित देश के पर्यटन क्षेत्र के साथ ही उद्योग के लिए विभिन्न राहत उपायों की घोषणा की है। इसका ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। इन उपायों में पर्यटन क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सहायता को भी शामिल किया गया है।

पर्यटन मंत्रालय होम स्टे/बेड और ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठानों और उनके वर्गीकरण को बढ़ावा देने के लिए संवेदीकरण कार्यशालाओं का आयोजन भी कर रहा है।

*****

अनुबंध

केरल में पर्यटन क्षेत्र के राहत पैकेज के संबंध में दिनांक 03.04.2023 के लोकसभा के लिखित प्रश्न सं. †5166 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में विवरण ।

केरल सहित देश में कोविड-19 के बाद पर्यटन क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए सरकार द्वारा घोषित विभिन्न राहत उपाय निम्नानुसार हैं:-

(i) सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की जिसके माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का संपार्श्विक मुक्त स्वचालित ऋण उपलब्ध कराया गया है । ऋण की अवधि 4 साल की होगी और 12 महीने का ऋण-स्थगन होगा ।

(ii) आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत, तीन महीने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के भविष्य निधि अंशदान को मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया था।

(iii) 5.00 करोड़ रुपये तक की कंपनियों के लिए बिना किसी दंडात्मक ब्याज के रिटर्न फाइलिंग तीन महीने के लिए स्थगन, बाकी के लिए @9% दंडात्मक ब्याज के साथ ।

(iv) सरकार ने 100 से कम कार्मिकों वाले और उनके 90% कर्मचारियों की आय 15000 रुपये से कम वाले, संगठनों के लिए भविष्य निधि योगदान को तीन महीने के लिए माफ कर दिया ।

(v) अक्टूबर 2020 तक स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) का आस्थगन ।

(vi) केंद्र सरकार ने व्यापार निरंतरता और अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 संकट को ध्यान में रखते हुए, अलग-अलग अवधि के लिए आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम और माल एवं सेवाकर (जीएसटी) अधिनियम के तहत विभिन्न नियामक अनुपालनों से राहत प्रदान की है ।

(vii) पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और व्यावसायिक उद्यमों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने में सहायता करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में मई, 2020 में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) शुरू की गई थी। इस योजना के तहत पात्र कर्जदारों को योजना के तहत उनके द्वारा दिए गए ऋणों के लिए ऋण देने वाली संस्थाओं को 100% क्रेडिट गारंटी दी जाती है। योजना के तहत स्वीकार्य गारंटी सीमा को 4.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5

लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें 50,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त गारंटी कवर नागरिक उड्डयन क्षेत्र सहित आतिथ्य और संबंधित उद्यमों के लिए विशेष रूप से निर्धारित की गई है।

(viii) 28 जून, 2021 को, सरकार ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के संवर्धन और विकास और रोजगार के उपायों को गति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की । पैकेज में तीन व्यापक श्रेणियों में कुल 17 उपाय शामिल हैं, जिसमें 'महामारी से आर्थिक राहत, स्वास्थ्य और पुनर्जीवित यात्रा और पर्यटन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ' और 'विकास और रोजगार के लिए प्रोत्साहन' शामिल हैं ।

(ix) पर्यटन मंत्रालय ने 'कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएटीएसएस)' शुरू की थी, जिसका उद्देश्य संकटग्रस्त पर्यटन क्षेत्र को उनकी देनदारियों का निर्वहन करने और इस योजना के तहत कोविड -19 महामारी के कारण प्रभावित अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करना है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित टूर ऑपरेटर / ट्रैवल एजेंटों / परिवहन ऑपरेटरों द्वारा प्रत्येक को 10.00 लाख रुपये तक का संपार्श्विक मुक्त ऋण और पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आरएलजी/आईआईटीजी और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुमोदित पर्यटक गाइड प्रत्येक के द्वारा 1.00 लाख रुपये तक का लाभ प्राप्त किया जा सकता है । यह योजना पहले से ही 18 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से चल रही है। योजना की वैधता को एक और वर्ष यानी 31 मार्च, 2023 तक या योजना के तहत 250.00 करोड़ रुपये की गारंटी जारी होने तक बढ़ा दिया गया है।

(x) कोविड-19 के पश्चात पुनरुद्धार की तैयारी की दृष्टि से, मंत्रालय ने 08.06.2020 को होटल, रेस्तरां, बीएंडबी/होम स्टे और पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए कोविड सुरक्षा और स्वच्छता के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश तैयार और जारी किए हैं ताकि व्यवसाय को सुचारू रूप से फिर से शुरू किया जा सके ।

(xi) होटल, रेस्तरां, बी एंड बी और अन्य इकाइयों के सुरक्षित संचालन के लिए कोविड-19 और उससे आगे के संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों/एसओपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ''साथी'' (आतिथ्य उद्योग के लिए आकलन, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रणाली) नामक एक पहल तैयार की गई है ।

(xii) पर्यटन उद्योग में हितधारकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बाजार विकास सहायता योजना (एमडीए) के दिशा-निर्देशों को योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया है, ताकि हितधारकों को अधिकतम लाभ

प्रदान किया जा सके । ऑनलाइन प्रचार सहित अतिरिक्त प्रचार गतिविधियों को शामिल किया गया है और अनुमेय वित्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाया गया है। विदेश संवर्धन और प्रचार योजना के तहत विपणन विकास सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है ताकि योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाया जा सके, जिससे पर्यटन उद्योग में हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके ।

(xiii) देश में इनबाउंड पर्यटन को पुन आरंभ करने और विदेशी पर्यटकों को आकषत करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने संभावित पर्यटन बाजारों से विदेशी पर्यटकों को पहले 5 लाख वीजा निशुल्क प्रदान किए हैं। नि:शुल्क वीजा का लाभ पहले 5 लाख पर्यटक वीजा जारी करने के दौरान प्रति पर्यटक केवल एक बार उपलब्ध होगा।

(xiv) कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के परिणामस्वरूप पर्यटन मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से व्यवसाय की निर्बाध बहाली के लिए पर्यटन हितधारकों, होटलों और रेस्तरां को दिशानिर्देश/निर्देश जारी किए है।

(xv) गृह मंत्रालय ने 166 देशों के विदेशी नागरिकों के लिए अभी तक ई-टूरिस्ट वीजा की बहाली की है।

*****